अध्याय IX : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, मेघालय

9.1 परिहार्य अतिरिक्त देयता

संस्था ने परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए ठेके के अकुशल संचालन के कारण ₹12.67 करोड की परिहार्य अतिरिक्त देयता अर्जित की।

राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान मेघालय (रा.त.सं.) ने सोहरा (फेस-I) में रा.त.सं. के स्थायी कैंपस के विकास हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श (परि.प्र.प.) सेवा को सौंपने हेतु निविदा जारी की (मार्च 2013)। कैंपस के विकास की अनुमानित लागत ₹438.52 करोड थी तथा परि.प्र.प. निविदाकारों ने अनुमानित लागत की प्रतिशतता के अनुसार अपनी वित्तीय निविदाओं को प्रस्तुत करना था। प्रत्युत्तर में नौ फर्मों ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की। परामर्श मूल्यांकन समिति (प.मू.स.) को परि.प्र.प. के चयन के लिए बनाया गया था जिसने निविदा दस्तावेज (अप्रैल 2013) में सूचीबद्ध कसौटी पर आधारित तकनीकी योग्यता हेतु 50 का कटऑफ स्कोर निश्चित किया। निम्नलिखित तीन निविदाकर्ता योग्य थे:

क्र.सं.	निविदाकर्ता का नाम	तकनीकी स्कोर
1.	मैसर्स राइट्स लिमि. गुड़गॉव	84
2.	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि. कोलकाता	69
3.	मैसर्स आर्कटेक कंसलटेंट प्राइवेट लिमि.(आ.कं.प्रा.लि.)	63

प.मू.स. ने वित्तीय निविदाओं के खुलने तथा तकनीकी योग्य निविदा कर्ताओं के साथ चर्चा के बाद चयन को भी अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। प.मू.स. ने 6 मई 2013 को हुई अपनी दूसरी बैठक में तकनीकी स्कोर का महत्व 70 प्रतिशत तथा वित्तीय स्कोर 30 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय किया।

समिति ने मैसर्स आ.कं.प्रा. लि. के साथ चर्चा के दौरान पाया कि निविदाकर्ता द्वारा किसी सहयोगी संस्था के बगैर स्वतंत्र रूप से परि.प्र.प. कार्य किया जाना स्पष्ट नहीं किया था। अत: प.मू.स. ने सोचा कि निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए सभी दस्तावेजों को सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि उसी बैठक में चयनित निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाएं खोली गई मैसर्स आ.क.प्रा.लि. का एल-। निविदाकार के रूप में 74.1 के स्कोर के साथ तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन स्कोरों के आधार पर अंतिम स्कोर निम्न प्रकार थे:

क्र.सं.	निविदाकर्ताओं के नाम	तकनीकी निविदा स्कोर (टी)	वित्तीय निविदा दर (कार्यो की लागत के % में)	वित्तीय निविदा स्कोर (एफ)	अंतिम स्कोर एस = 0.7 टी + 0.3 एफ
1.	मैसर्स राइटस लिमि. गुड़गॉव	84	6.40	23.44	65.83
2.	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता	69	1.91	78.53	71.86
3.	मैसर्स आर्कटेक कंसलटेंट प्राइवेट लिमि.(आ.कं.प्रा.लि.)	63	1.50	100	74.10

तथापि, भवन एवं निर्माण समिति (भ. एवं नि.स.) ने 18 मई 2013 की अपनी आपात बैठक में पाया कि 'बड़े भवन हेतु परि.प्र.प. सेवा' का निष्पादन के संबंध में मैसर्स आ.कं.प्रा.लि., द्वारा प्रस्तुत चार प्रमाण पत्रों में परि.प्र.प. सेवाओं का कोई उल्लेख न होकर केवल निर्माण कार्य ही दिखाया गया था। परन्तु केवल 'निर्माण कार्य' के रूप में दिखाई गई थीं। आगे यह भी देखा गया कि असम विश्वविद्यालय कार्य के अनुभव के संबंध में फर्म द्वारा, परियोजना प्रबंधन परामर्श किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था। निविदाकार द्वारा किसी शैक्षणिक परिसर की वास्तविक परि.प्र.प. सेवा को अपर्याप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए समिति ने फर्म का तकनीकी स्कोर 63 से 49 तक कम कर दिया और इसे

तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया। फलस्वरूप भ. एवं नि.स. ने निर्णय लिया कि शेष बची दो फर्में अपने पुन: निकाले गए निम्नानुसार अंतिम स्कोर के आधार पर कार्य के लिये योग्य हैं:

क्र. सं.	निविदाकर्ताओं के नाम	वित्तीय निविदा दर	तकनीकी निविदा स्कोर (टी)	वित्तीय निविदा स्कोर (एफ)	अंतिम स्कोर एस=*0.7*टी *+0.3*एफ
1.	मैसर्स राइट्स लिमि., गुड़गॉव	6.40	84	29.84	67.75
2.	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता	1.91	69	100.00	78.30

भ.एवं नि.स. ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता को परि.प्र.प. सेवा ठेके को 78.3 के उच्चतर स्कोर के आधार पर सौंपने, की सिफारिश की। तथापि शासकीय बोर्ड (शा.बो.) ने पाया (जून 2013) कि एल-1 निविदाकर्ता मूल्यनिविदा के खुलने के पश्चात तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाया गया। अत: इसने भ. एवं नि.स. को अपनी सिफारिश पर एक बार पुन: विचार करने के लिए कहा। भ. एवं नि.स. ने निविदा रद्द करने (18 जुलाई 2013) तथा नयी निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, 30 जुलाई 2013 को नयी निविदाएं आमंत्रित की गई जिसमें केवल चार फर्मों[1] ने भाग लिया जिनमें से दो फर्मों[2] को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया। चयन समिति ने ठेके को मै. राइटस लिमिटेड को परियोजना लागत की 4.8 *प्रतिशत* की (₹438.52 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर ₹21.05 करोड़) उनकी उद्ध्त दर पर ठेका सौंपने की सिफारिश की। शा.बो. ने ठेका मैसर्स राइट्स लिमिटेड को सौपने का निर्णय लिया, (23 नवंबर 2013)।

---

[1] मै. राइट्स लिमि., एम.एम.एस. एडवायसरी, प्राइवेट लिमि., एन.पी.सी.सी. लिमि. तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड ।

[2] मै. राइट्स लिमि. तथा एन पी सी सी लिमि.

लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियॉ पाई गई थीं:

(अ) भ. एवं नि.स. द्वारा वित्तीय निविदाओं को खोलने के पश्चात मै. आ.कं.प्रा.लि. को तकनीकी अयोग्य ठहरानी सा.वि.नि. 175 के उल्लंघन में था जो बताता है कि केवल तकनीकी योग्य निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाओं को ही खोला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प.मू.स. ने निविदकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी तकनीकी प्रलेखों के सत्यापन के बिना वित्तीय निविदाएं खोल कर गलती की। के.स.आ. के दिशानिर्देशों में भी योग्य फर्मो को वित्तीय निविदाओं के खुलने से पहले शार्टलिस्ट करना आवश्यक है।

(ब) निविदा प्रलेख में तकनीकी योग्यता के लिए 50 का कट-आफ स्कोर, वित्तीय स्कोर के लिए 30 प्रतिशत तथा तकनीकी स्कोर के लिए 70 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित नहीं थी। प.मू.स. द्वारा, तकनीकी निविदाएँ खोलने के समय स्कोर नियत किए गए थे जो उचित नहीं था।

(स) तकनीकी स्कोर को 14 प्वाइंट्स कम करना गलत था जैसा कि निविदा प्रलेखों तथा तकनीकी मूल्यांकन परिणामों ने दर्शाया कि मै. आ.कं.प्रा.लि., असम विश्वविद्यालय/त्रिपुरा विश्वविद्यालय के लिए कार्यान्वित किए गए परि.प्र.प. कार्य हेतु तीन प्वाइंटस का अधिकारी था जिसे भ. एवं नि.स. द्वारा मना कर दिया गया। तीन प्वाइंटस को जोड़कर मै. आ.क.प्रा.लि. का तकनीकी स्कोर 52(49+3) हो जाता और इस प्रकार वह वित्तीय मूल्यांकन[3] के योग्य हो जाता। फलस्वरूप ठेके को सौंपने के लिए मै.

[3] इस स्थिति में अंतिम मूल्यांकन इस प्रकार होता।

क्र. सं.	निविदाकर्ता का नाम	तकनीकी निविदा स्कोर (टी)	वित्तीय निविदा स्कोर (एफ)	अंतिम स्कोर एस=*0.7* टी *+0.3* एफ
1	मैसर्स राइट्स लिमि. गुड़गॉव	84	23.44	65.83
2	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि. कोलकाता	69	78.53	71.86
3	मैसर्स आर्कटेक कंसलटेंट प्राइवेट लिमि. (आ.कं.प्रा.लि.)	52	100	66.40

टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि. कोलकाता सबसे कम निविदाकर्ता बन जाता और निरस्तीकरण तथा पुन: निविदा से बचा जा सकता था।

इस प्रकार निविदा प्रक्रिया तथा निविदाओं के मूल्यांकन के अकुशल संचालन के परिणामस्वरूप परि.प्र.प. के ठेके को मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता द्वारा पहले राऊंड में उद्धत 1.91 प्रतिशत की दर के प्रति 4.80 *प्रतिशत* की उच्चतर दर पर सौंपे जाने से संस्थान को ₹12.67 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय व्यय वहन करना पड़ा। चूंकि यह केवल अनुमानित व्यय पर आधारित था, यह अतिरिक्त व्यय परियोजना लागत में वृद्धि के साथ बढ़ भी सकता है।

रा.त.सं. ने बताया (मई 2014) कि मै. आ.कं.प्रा.लि., जो आरंभिक निविदा का सबसे कम बोलीकर्ता था, को तकनीकी रूप से अयोग्य करार दिया गया क्योंकि वे प्रमाणित नहीं कर सके कि वे तकनीकी मापदण्ड को पूरा करते थे क्योंकि फर्म द्वारा प्रस्तुत बहुत से प्रमाणपत्रों में परि.प्र.प. सेवाओं का उल्लेख नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित 52 के तकनीकी स्कोर से फर्म सबसे कम निविदाकर्ता नहीं बनती है।

उत्तर वित्तीय निविदा को पर्याप्त तकनीकी मूल्यांकन के बिना खोलने तथा वित्तीय निविदाओं के खुलने के पश्चात स्कोर कम करने से संबंधित मामलों का जवाब नहीं देता है। तथ्य यही है कि रा.त.सं. का ₹12.67 करोड़ की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी जो परिहार्य थी।

मामला जून 2014 में मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015) ।

9.2 ₹63.75 लाख के सेवा कर का अनियमित भुगतान

भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान का संस्थान, मोहाली तथा पी ई सी तकनीकी विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने बाह्यस्रोत सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया जबकि इन सेवाओं को ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने शैक्षिक संस्थानों को अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ सेवाओं को 1 जुलाई 2012 से (अधिसूचना सं.25/2012-सेवा कर दिनांक 20.06.2012) सेवाकर से छूट दी। अधिसूचना में स्पष्ट था कि छूट प्राप्त सेवाओं में ऐसी सेवाएं शामिल थीं जिन्हें शैक्षिक संस्थान द्वारा साधारण रूप से स्वयं किया जाता है परन्तु उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से बाह्यस्रोत सेवाओं के रूप में प्राप्त किया जा रहा हो। वित्त मंत्रालय ने आगे स्प्ष्ट किया कि नकारात्मक सूची में प्रविष्टि होने के कारण यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाओं को सेवाकर से छूट प्राप्त है (परिपत्र सं. 172/7/2013-एसटी दिनांक 19.9.2013)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (भा.वि.शि.अ.सं.), मोहाली, पंजाब ने सुरक्षा, बागवानी तथा हाऊसकीपिंग की सेवाओं को 01.04.2011 से एक एजेन्सी[4] से बाह्यस्रोत द्वारा लिया है तथा इस अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए 01.07.2012 से 31.03.2014 के दौरान ₹48,39,831 के सेवा कर का भुगतान किया।

इसी प्रकार पी.ई.सी. तकनीकी विश्वविद्यालय (पी.ई.सी.), चंडीगढ़, ने भी मई 2011 में उसी एजेन्सी से बाह्यस्रोत द्वारा सुरक्षा सेवाएं ली थीं तथा 01.07.2012 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान ₹15,34,746 की राशि के सेवाकर का भुगतान किया। चूंकि दोनों संस्थान शैक्षिक संस्थाएं हैं, ठेकेदार द्वारा प्रदत्त सेवाओं को सेवाकर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। इस प्रकार इन संस्थानों द्वारा देय ₹ 63.75 लाख का सेवाकर अनियमित था।

---

[4] मै. टेरियर यूटीलिटी सर्विसिस प्रा. लिमि. चंडीगढ़,

भा.वि.शि.अ.सं. ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि संस्थान को भारत सरकार की छूट अधिसूचना की जानकारी नहीं थी जब तक कि उसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहीं किया गया तथा छूट अधिसूचना के बारे में पता चलने के तुरंत बाद सेवाकर का भुगतान रोक दिया गया है। वि.शि.अ.भा.स. के रजिस्ट्रार ने आगे सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सेवाकर प्राधिकारियों को ₹ 48,39,831 की राशि की वापसी के लिए अनुरोध किया गया है।

पी.ई.सी. ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि संस्थान के कानूनी परिचर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात जनवरी 2014 से प्रदत्त सेवाओं के लिए ठेकेदार को सेवाकर का भुगतान रोक दिया गया था।

संस्थान के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम की अज्ञानता अनियमित भुगतानों के लिए बहाना नहीं है। इसके अतिरिक्त भा.वि.शि.अ.सं. का कथन कि सेवाकर प्राधिकारियों को वापसी की राशि के लिए अनुरोध किया गया है, उचित नहीं था क्योंकि संस्थान, सेवाकर विभाग से वापसी का हकदार नहीं है। वह ठेकेदार जिसने सेवाकर जमा किया है, वापसी का हकदार है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (मार्च 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

दिल्ली विश्वविद्यालय

सत्यवती कॉलेज

9.3 सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान

दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज ने अपने सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर की अपेक्षा ब्याज की उच्च दर का भुगतान किया (2008-09 से 2010-11) जिसके परिणामस्वरूप ₹83.30 लाख के ब्याज का अधिक भुगतान किया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों को अनुदेश जारी किए (अगस्त 2002) कि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.)

/अंशदायी भविष्य निधि (अं.भ.नि.) अंशदानों पर अनुमत ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से परामर्श के पश्चात अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्वायत्त संगठनों को अनुदेश दिया (फरवरी 2004) कि सा.भ.नि./अं.भ.नि. के ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज से उच्च दर पर नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि संगठन की वित्तीय स्थिति के अनुसार कम दर पर भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार, वि.अ.आ. द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि न्यास कॉलेजों जिनको इसके द्वारा निधि दी जाती है, इन अनुदेशों का पालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सत्यवती कॉलेज, नई दिल्ली सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर की अपेक्षा उच्च दर पर ब्याज का भुगतान कर रहा था। 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान ब्याज की निर्धारित दर तथा कॉलेज द्वारा सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को कॉलेज द्वारा किए गए भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	ब्याज की दर (ब्या.द.) प्रतिशतता में	महाविद्यालय द्वारा अनुमत ब्या.द. प्रतिशतता में	ब्याज की देय राशि	महाविद्यालय द्वारा वास्तव में अदा किए गए ब्याज की राशि	सा.भ.नि. /अं.भ.नि. अंशदाताओं को क्रेडिट किए गए अधिक ब्याज की राशि
1.	2008-09	8.00	10.25	70.27	90.03	19.76
2.	2009-10	8.00	10.90	93.31	127.13	33.82
3.	2010-11	8.00	10.04	116.58	146.30	29.72
					योग	**83.30**

इस प्रकार कॉलेज ने 2008-11 के दौरान सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को कुल ₹ 83.30 लाख के कुल ब्याज का अधिक भुगतान किया।

कॉलेज को इसे इंगित करने पर यह कहा गया (जनवरी 2015) कि 2011-12 से पहले कॉलेज ने अभिदाताओं को अर्जित वास्तविक ब्याज के वितरण पर कभी कोई सलाह अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं की थी। कॉलेज ने आगे कहा कि सा.भ.नि./अं.भ.नि. पर अर्जित ब्याज कर्मचारियों की आय था और इसलिए अभिदाताओं के खाते में उचित रूप से जमा किया गया था और दिल्ली विश्वविद्यालय को किसी हानि का कोई प्रश्न नहीं था।

कॉलेज का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय/दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया था।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (जनवरी 2015) उनका उत्तर मार्च 2015 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

9.4 जल प्रभारों पर छूट की प्राप्ति न होना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सात कार्यात्मक रेन वाटर हारवेसटिंग प्रणालियां रखने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड से जल बिलों पर 10 प्रतिशत की देय छूट प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जनवरी 2010 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान जारी किए जल बिलों पर ₹54.71 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिल्ली में जनवरी 2010 से प्रभावी जल टैरिफ के लिए अपनी अधिसूचना (दिसम्बर 2009) में निर्दिष्ट किया कि सरकारी संस्थान जल बिलों की कुल राशि पर 10 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे। यह इस शर्त पर था कि संस्थान जल हारवेसटिंग के उपाय अपनाने के प्रमाणपत्र उपलब्ध करें। इस अधिसूचना की शर्तों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) सरकारी संस्थानों के श्रेणीकरण के अंतर्गत आता है। रा.शै.अ.प्र.प. के पास इसके परिसरों के भीतर विभिन्न स्थानों में तीन जल

कनैक्शन तथा सात कार्यात्मक रेन वाटर हारवेसटिंग प्रणालियां थीं जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) द्वारा प्रमाणित है। इस प्रकार रा.शै.अ.प्र.प. अपने मासिक जल बिलों पर 10 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का पात्र था।

लेखापरीक्षा में, तथापि पाया गया (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014) कि रा.शै.अ.प्र.प. ने यह रियायत प्राप्त नहीं की। इस कारण जनवरी 2010 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान अदावित छूट ₹ 54.71 लाख थी (**अनुबन्ध-XX**)।

रा.शै.अ.प्र.प. ने कहा (मार्च 2014) कि इसने आवश्यक छूट प्राप्त करने के लिए मामले को दि.ज.बो. के साथ उठाया था। इसने तत्पश्चात सूचित किया (जनवरी 2015) कि दि.ज.बो. की एक टीम जनवरी 2014 में रा.शै.अ.प्र.प. में गई और पाया कि इसकी वॉटर हारवेसटिंग प्रणाली ठीक काम कर रही थी। दि.ज.बो. द्वारा उनके जल बिलों पर छूट की अनुमति देने का आश्वासन दिया। रा.शै.अ.प्र.प. ने फरवरी 2015 में स्थिति को पुन: दोहराया।

मामला, मंत्रालय को भेजा गया (जनवरी 2015) उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय तकनीकी संस्थान

9.5 श्रम कल्याण उपकर की गैर-वसूली

भारतीय तकनीकी संस्थान मुम्बई, निर्माण बिलों से श्रम कल्याण उपकर की कटौती तथा एकत्रित राशि को बोर्ड के पास जमा कराने में विफल रहा परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ तथा इसे ब्याज और जुर्मानों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी बना दिया।

भारत सरकार ने 'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996' (अधिनियम) को प्रवर्तित किया जो निर्माण की लागत पर उपकर का

उद्ग्रहण तथा एकत्रण का प्रावधान करता है। अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2008 से निर्माण के कुल मूल्य (भूमि लागत को छोड़कर) पर एक प्रतिशत उपकर की वसूली हेतु अनुदेश जारी किए (21 अप्रैल 2008)।

अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम 4(3) के अनुसार जहां उपकर का उद्ग्रहण, सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित है, ऐसे सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर कटौती करेंगे अथवा कटौती के निमित्त होंगे। इसके अतिरिक्त नियम 5(3) के अनुसार ऐसी एकत्रित राशि को इसके एकत्रण के 30 दिनों के भीतर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को स्थानांतरित किया जाएगा। अधिनियम में उस तिथि जिस पर भुगतान उपकर राशि के समतुल्य जुर्माने सहित देय था, से प्रत्येक माह के विलंब हेतु दो प्रतिशत की दर से ब्याज की देयता का भी प्रावधान है।

यह पाया गया कि भारतीय तकनीकी संस्थान, मुम्बई (संस्थान) ने 1 जनवरी 2008 से 336 निर्माण कार्य आरंभ किये थे जिस पर 31 मार्च 2014 तक ₹ 202.75 लाख की राशि का उपकर वसूली योग्य था। संस्थान ने 263 निर्माण कार्यो पर ₹ 80.21 लाख की उपकर राशि की कटौती नहीं की तथा शेष 73 मामलों में यद्यपि संस्थान द्वारा ₹ 122.54 लाख के उपकर की कटौती की गई, उसे बोर्ड में जमा नहीं किया गया। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की विफलता ने इसे उपकर राशि के समतुल्य विलंबित भुगतानों तथा जुर्माने पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज सहित उपकर की अवसूल राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना दिया।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि इसने केवल 2012 से ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती शुरू की थी। आगे यह कहा गया कि राशि संबंधित

कार्यालय को जमा कर दी जाएगी जब भी निर्णय इसकी प्रबंधन समिति द्वारा लिया जाएगा।

इस प्रकार संस्थान द्वारा, श्रम कल्याण उपकर की कटौती तथा उसे बोर्ड को जमा कराने की विफलता के परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने से इसे ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 80.21 लाख की असंग्रहीत राशि का भुगतान करने, ठेकेदारों को अनुचित लाभ तथा निर्माण मजदूरों के कल्याण के निमित्त विफलता के लिए उत्तरदायी बना दिया।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (फरवरी 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

विश्व भारती

9.6 प्रकाशक को अनुचित लाभ

'रविन्द्र चित्रावली' के प्रकाशक की चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी; विश्व भारती ने प्रकाशक को ₹ 3.18 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु भुगतान शर्तों में बाद में परिवर्तन किया। विश्व भारती की कार्रवाईयों ने वित्तीय औचित्यता के मानकों का उल्लंघन करने के अतिरिक्त टैगोर के सभी कला कार्यों को सभी को 'उचित स्तर' पर उपलब्ध कराने के उनके कथित उद्देश्य को विफल कर दिया।

टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर *प्रतीक्षण,* कोलकाता स्थित प्रकाशक ने विश्व भारती (वि.भा.) के सहयोग से रविन्द्र चित्रावली अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स के प्रकाशन के लिए वि.भा. को प्रस्ताव किया (मार्च 2009)। *प्रतीक्षण* ने ₹ 30 लाख की रॉयल्टी के अतिरिक्त चित्रावली के 500 सैटों का प्रस्ताव रखा तथा ₹ 6.35 करोड़ की लागत पर चार खण्डों में 8000 पुस्तकों के सैटों के प्रकाशन हेतु विस्तृत लागत ब्यौरा प्रस्तुत किया (मई 2009)। *प्रतीक्षण* ने पुस्तक के पूर्वापेक्षी क्रेताओं को प्रकाशित कीमत पर 50 प्रतिशत की छूट भी प्रस्तावित की यदि विश्व भारती ने संस्कृति मंत्रालय (सं.मं.) के माध्यम से परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 3.18 करोड़ की राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

विश्व भारती के रजिस्ट्रार तथा *प्रतीक्षण* ने 07 दिसम्बर 2009 को समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर हस्ताक्षर किए जिसे तत्पश्चात वित्त समिति (वि.स.) द्वारा 31 जनवरी 2010 को अनुमोदित किया गया। स.ज्ञा. में अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा गया कि अ) वि.भा. प्रकाशन की कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करेगा, और ब) *प्रतीक्षण* प्रकाशित कीमत पर 50 प्रतिशत छूट का चित्रावली के क्रेताओं को लाभ देगा।

वि.भा. ने वित्तीय औचित्यता के मानकों तथा सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में स.ज्ञा.से पहले संभावित निविदाकर्ताओं की पहचान तथा निविदाएँ आमंत्रित नहीं की। रजिस्ट्रार ने स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करने के पांच दिन पश्चात एक तकनीकी समिति बनाई जिसने उसी दिन इसके लिए *प्रतीक्षण* के चयन की सिफारिश की। यद्यपि समिति की टिप्पणियों में कहा गया कि दो अन्य फर्मों पर भी विचार किया गया था, निविदाओं के आमंत्रण का कोई प्रमाण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। तत्पश्चात, वि.भा. ने चित्रावली के प्रकाशन हेतु पूर्व-योग्य निविदाओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया (19 जनवरी 2010) परन्तु इसे बिना कोई कारण बताए रोक दिया गया। 31 जनवरी 2010 को वि.स. ने तकनीकी समिति के एक सदस्य द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के आधार पर प्रतीक्षण के चयन को अनुमोदित किया। वि.स. ने नोट किया कि सं.मं. ने ₹ 5.00 करोड़ की संस्वीकृति दी थी।

तत्पश्चात फरवरी 2010 में रजिस्ट्रार ने चित्रावली के प्रकाशन हेतु *प्रतीक्षण* के साथ एक अन्य स.ज्ञा.पर हस्ताक्षर किए। नये स.ज्ञा. में लागत के बंटवारे का अनुपात 50 प्रतिशत था जैसा कि 7 दिसंबर 2009 के प्रथम स.ज्ञा. में तथा प्रतीक्षण के प्रस्ताव में बताया गया था छोड़ दिया गया था और इसे इस शर्त के साथ परिवर्तित कर दिया गया था: "....वि.भा. प्रकाशक को रविन्द्र चित्रावली के लिए प्राप्त की गई कोई भी वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गया है....". वित्तीय शर्तों में परिवर्तन वि.स. द्वारा अनुमोदित किए जाने हेतु। इस प्रकार

यह स्पष्ट है कि *प्रतीक्षण* को उनके द्वारा प्राप्त ₹ 3.18 करोड़ की सहायता से अधिक के वित्तीय लाभ देने के लिए वित्तीय शर्तों को बदला गया।

स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर के बाद वि.भा. ने सं.मं. से ₹ 5.00 करोड़ का शीघ्र संवितरण करने हेतु अनुरोध किया (फरवरी 2010) जबकि प्रकाशक द्वारा मांगी गई कुल सहायता केवल ₹ 3.18 करोड़ थी। इस पर सं.मं. ने मद-वार लागत ब्यौरे माँगे। अभिलेखों से पता चला कि यद्यपि *प्रतीक्षण* ने ₹ 3.14 करोड़ की ही तात्कालिक माँग रखी थी, वि.भा. ने मंत्रालय को उत्तर दिया कि कुल परियोजना लागत ₹ 6.35 करोड़ थी तथा ₹ 3.34 करोड़ तत्काल जारी करने और उसके उपयोग के पश्चात ₹ 1.66 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया। वि.भा. ने आगे कहा कि *प्रतीक्षण* को ₹ 5.00 करोड़ की सहायता के बाद भी ₹ 1.35 करोड़ का और प्रबंध करना था।

सं.मं. ने 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 4.76 करोड़ तीन किश्तों में जारी किया जिसे *प्रतीक्षण* को दे दिया गया। सं.मं. द्वारा जारी अनुदान के संस्वीकृति पत्रों में निर्धारित था कि वि.भा. कुल लागत का 25 प्रतिशत वहन कर रहा था। *प्रतीक्षण* को इसकी सूचना तकनीकी समिति के एक सदस्य द्वारा दी गई। तत्पश्चात *प्रतीक्षण* ने ₹ 6.35 करोड़ के 25 प्रतिशत अर्थात ₹ 1.59 करोड़ की अतिरिक्त मॉग की। वि.भा. ने राशि का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) से ₹ 1.59 करोड़ की एक-बार की विशेष अनुदान के लिए अनुरोध किया। मा.सं.वि.मं. ने जुलाई 2012 में राशि जारी की। फरवरी 2013 में ₹ 4.76 करोड़ से अधिक अतिरिक्त राशि *प्रतीक्षण* को दी गई। इस प्रकार, ₹ 6.35 करोड़ की कुल राशि चित्रावली के प्रकाशन हेतु प्रकाशक को दी गई।

वि.भा. के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, अगस्त 2014 को केवल 6000 सैट छपवाए गए जबकि सहमति 8000 सैटों की थी। वि.भा. ने 493 सैट तथा ₹ 30.00 लाख की रॉयल्टी प्राप्त की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि *प्रतीक्षण*

को, वित्तीय सहायता के 50 प्रतिशत प्रस्ताव के प्रति ₹ 6.35 करोड़ की परियोजना लागत का शत प्रतिशत वापिस किया गया। इस प्रकार प्रकाशक ने अपनी ओर से कोई व्यय किए बिना ₹ 11.01 करोड़ मूल्य के चित्रावली के 5507 सैटों के बिक्री अधिकार प्राप्त किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चित्रावली की ₹ 20,000.00 प्रति सैट की मुद्रित कीमत के बावजूद, स.ज्ञा. में निर्धारित 50 प्रतिशत छूट के विरूद्ध केवल 20-33 प्रतिशत की छूट पर विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों पर बिक्री की गई।

इस प्रकार, रबिन्द्र चित्रावली के प्रकाशन की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी। इसने प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत लागत ढाँचे के औचित्य का सत्यापन नहीं किया, तदनंतर भुगतान शर्तों को परिवर्तित किया तथा प्रकाशक को ₹ 3.18 करोड़ के अनुचित वित्तीय लाभ देने के लिये संशोधित स.ज्ञा.पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लंघन करने के अलावा वि.भा. की कार्यवाही ने सभी को 'उचित स्तर पर' उपलब्ध टैगोर कलाकृतियों को उपलब्ध कराने के कथित उद्देश्य को विफल किया।

मामला विश्व भारती और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अक्तूबर 2014 में सूचित किया गया। विश्व भारती ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़ों की पुष्टि की। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।